भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3875

11 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषय- राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम के अंतर्गत वित्तीय सहायता

3875. श्री रुद्र नारायण पाणीः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल-पाम के अंतर्गत आरंभ किए गए पाम ऑयल के क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता कम होने के कारण उसमें वृद्धि की जाएगी;

(ख) क्या सरकार ओडिशा के ढेंकनाल और अंगुल जिलों में पाम वृक्षों के अधिक पौधरोपण पर विचार करेगी क्योंकि ये क्षेत्र आकाशीय बिजली गिरने की संभावना वाले क्षेत्र हैं और हाथियों के आतंक से पीड़ित हैं; और

(ग) क्या सरकार आम ग्रामीणों और किसानों को हाथियों के आतंक से बचाने के लिए सामान्य, दूरदराज और घने वन क्षेत्रों में अधिक पाम वृक्ष लगाने पर विचार करेगी?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – ऑयल-पाम (एनएमईओ-ओपी) के अंतर्गत, किसानों को योजना के अनुमोदित मानदंडों के अनुसार क्षेत्र विस्तार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस सहायता में रोपण सामग्री, विकास अवधि के दौरान रखरखाव और अंतरफसल इनपुट शामिल है। इस मिशन के अंतर्गत सहायता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख): एनएमईओ-ओपी के अंतर्गत, राज्य सरकारों द्वारा कृषि-जलवायु अनुकूलता, सिंचाई की उपलब्धता, भूमि की उपयुक्तता और अन्य तकनीकी मापदंडों के आधार पर ऑयल पाम की खेती के लिए उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान की जाती है। वर्ष 2026-27 के लिए, ओडिशा सरकार ने ढेंकानाल के लिए 200 हेक्टेयर और अनुगुल के लिए 100 हेक्टेयर भूमि आयल पाम के वृक्षारोपण के लिए आवंटित की है।

(ग): एनएमईओ-ओपी के अंतर्गत, गैर-वन भूमि और कृषि भूमि पर ऑयल पाम की खेती की अनुशंसा की जाती है। प्रारंभिक वर्षों में अन्य फसलों के साथ अंतरफसल की जाती है। परिपक्व वृक्षारोपण क्षेत्रों में कुछ जगहों पर छाया में उगाई जा सकने वाली फसलें उगाई जा रही हैं। सरकार वन क्षेत्रों में ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा नहीं दे रही है।
